

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 7/विशेष न्यायाधीश
एस ० सी०/एस ० टी० (पी० ए०) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद सं०-40/2017
आशाराम बनाम श्रवण कुमार तिवारी आदि

दिनांक: 01.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद में संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादी एक गरीब हरिजन जाति में चमार है। विपक्षी सं० 1 श्रवण कुमार तिवारी जाति का ब्राम्हण है तथा विपक्षी सं० 2 राजकिशोर व विपक्षी सं० 3 मिन्दू जाति के सोनार हैं। परिवादिनी ने अपनी जमीन गाटा संख्या 460 रकबा 1.2780 हे० का 1/4 भाग परिवादी ने अपने भाई जवाहर के नाम मुख्तयारनामा दिनांक 30.10.14 को लिख दिया था। परिवादी व परिवादी के भाई जवाहर व विपक्षीगण के मध्य यह तय हुआ था कि जो प्लाट बिकेगे उसका 1/4 भाग परिवादी को भुगतान किया जायेगा। लेकिन विपक्षीगण ने ऐसा नहीं किया और कई प्लाट बेच दिये जिसमें परिवादी को पैसा नहीं दिया गया तब परिवादी ने उक्त मुख्तयारनामा भंग करने के लिए दिनांक 02.07.2015 को लिखा पढ़ी कर दी व मुख्तयारनामा भंग कर दिया। मुख्तयारनामा भंग करने के बाद विपक्षीगण को जब जानकारी हुयी तो विपक्षीगण ने परिवादी से कहा कि साले मादर चोद चमार बहुत काबिल बनते हो तुम्हे देख लेंगे। दिनांक 15.11.2016 को समय करीब 07 बजे रात्रि में विपक्षीगण नाजायज हथियार व डण्डा लेकर घर में घुस आये और परिवादी को डण्डो व लात घूसों से मारा पीटा जिससे परिवादी के शरीर पर काफी चोटें आयी। परिवादी के शोर पर परिवादी की पत्नी बचाने आये तो उन्हें भी थप्पड़ों से मारा पीटा। शोर गुल पर गवाहान रामनरेश पुत्र छेदीलाल व संजय पाल पुत्र जैजैराम पाल व अन्य लोग आ गये जिन्होंने आकर परिवादी व परिवादी की पत्नी को बचाया और घटना देखी। गवाहान के ललकारने पर विपक्षीगण यह कहते हुए चले गये कि चमार साले के दिमाग बहुत खराब हो गये हैं तथा जान से मार डालेंगे।

परिवाद के समर्थन मे धारा 200 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को तथा धारा 202 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत गवाहान रामदेवी को पी० डब्लू० 1 के रूप में तथा रामनरेश को पी० डब्लू० 2 के रूप में एवं संजय पाल को पी० डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित कराया है।

परिवाद, बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं० प्र० सं० तथा गवाहान के बयान

अन्तर्गत धारा 202 दं० प्र० सं० का सम्यक परिशीलन करने पर विपक्षीगण श्रवण कुमार तिवारी, राजकिशोर एवं मिन्दू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 452, 323 भा० दं० सं० एवं धारा-3 (1) (s) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मामला प्रथम दृष्टया बनता है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को प्रस्तुत मामले में विचारणार्थ तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत विशेष परिवाद संख्या-40/2017 थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई में विपक्षीगण श्रवण कुमार तिवारी, राजकिशोर एवं मिन्दू को धारा- 452, 323 भा० दं० सं० एवं धारा-3 (1) (s) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया जाता है। गवाहान सूची दाखिल होने के उपरान्त अभियुक्तगण जरिये सम्मन तलब हों। आवश्यक पैरवी हो। वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण पत्रावली दिनांक को पेश हो।

(अविनाश चन्द्र मिश्र)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7/विशेष न्यायाधीश
एस० सी०/एस० टी० (पी० ए०) एक्ट, हरदोई।